दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.7.24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष [illegible] व बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.7.24 को पेश हो।	
16-7-24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......स्वीकार......... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 81/2013

1 श्रीमती सजना पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासिनी ढाणी गुमानसिंह की तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रिछपाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गढी खानपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उनवानी रिछपाल बनाम श्रीमती सजना
मुकदमा नम्बर 07/2013 दिनांक 03.06.2013
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल बरबड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा 07/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 31.01.2013 को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 1028, 1029 किता 2 कुल रकबा 2.85 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता प्राप्त करने का आवेदन पेश कर अपीलान्ट के हक व हिस्से की भूमि में से बिना किसी सूचना व सुनवाई के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पहले से रास्ता होते हुए भी अपीलान्ट की भूमि में से बिना किसी तामील के तथा मुआवजे के राजस्व रिकार्ड में एक पक्षीय आदेश दिनांक 03.06.2013 को पारित कर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में गलत से अमल कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट की एकपक्षीय कार्यवाही कर गलत रूप से एक पक्षीय रिपोर्ट तहसीलदार से लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के रास्ता पूर्व से ही भूमि खसरा नम्बर 1032 की दक्षिण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सींव के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1063 जो नदी है से मिलता है। उक्त रास्ता वर्षो पुराना, परंतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट को हैरान व परेशान करने के लिए विचारण न्यायालय से साजिशपूर्वक अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 1028, 1029 में से नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में एक पक्षीय रूप से करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हमेशा से ही अपनी भूमि में आवागमन खसरा नम्बर 1063 जो नाला है से रास्ता ग्राम जुगलपुरा से ठिकरिया जाता है से ही आवागमन करता रहा है। अपीलांट की भूमि में कभी भी रास्ता नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 1030/1, 1032/2 में से केवल मात्र रास्ते के लिए ही भूमि ले रखी है तथा उक्त भूमि लेने का एकमात्र उद्देश्य अपीलांट की भूमि में से जबरन रास्ता निकालना है। अपीलांट को विद्वान विचारण न्यायालय ने न तो सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गलत पता लिखकर हाल आबाद गढ़ी खानपुर तहसील खण्डेला लिखकर नोटिस अपने व्यक्तियों को देकर एकपक्षीय कार्यवाही करवा कर उपरोक्त निर्णय पारित किया हुआ होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट दिनांक 18.06.2013 को अपने खेत की नींव सींव ठीक कर रही थी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह एलानियां धमकियां दी कि भूमि खसरा नम्बर 1028, 1029 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे काश्त मत करो तथा कहा कि उक्त भूमि के सहारे सहारे हमने रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्राप्त कर लिया है, इस पर अपीलांट ने दिनांक 19.06.2013 को उक्त निर्णय की नकल हेतु नकल आवेदन पेश किया। नकल दिनांक 04.07.2013 को प्राप्त की जाकर अपील तैयार करवाई गई। अपील यथाशीघ्र जानकारी से पेश की जा रही है। जानकारी में हुआ विलम्ब क्षमा किए जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर धारा 251 के प्रावधानो के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। विचारण न्यायालय में अपीलांट की चस्पादंगी से तामील हुई है। नोटिस की पुश्त पर दो गवाह के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार किया है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही लघुत्तम है। आवेदनकर्ता को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। दौराने अपील रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ जमाबंदी व नक्शा रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि विचाराधीन निर्णय की पालना हो चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर धारा 251 के प्रावधानो के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। विचारण न्यायालय में अपीलांट की चस्पादंगी से तामील हुई है। नोटिस की पुश्त पर दो गवाह के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट उपस्थित नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार किया है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही लघुत्तम है। आवेदनकर्ता को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। दौराने अपील रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ जमाबंदी व नक्शा रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि विचाराधीन निर्णय की पालना हो चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1. न्याय

2.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर